प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर नगर एवं आगरा।

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / NPCDCS / 03 / 2018–19 / दिनांक: 05-11-18

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत National programme for prevention and control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases & Stroke (NPCDCS) कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में मदवार धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबन्ध में।

महोदय / महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases & Stroke (NPCDCS) हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 की आर0ओ0पी0 में एफ0एम0आर0 कोड सं0 5.3.17 (Construction/Civil Work of CCU/ICU), 6.1.1.23.a (Equipping CCU/ICU) के अन्तर्गत Cardiac Care Units की स्थापना हेतु रू0 150.00 लाख की धनराशि प्रति जनपद अनुमोदित की गई है।

2. प्रमुख सचिव, के अनुमोदन के क्रम में लखनऊ, गोरखपुर, आगरा एवं कानपुर नगर में सी0सी0यू0 / कैंसर केयर यूनिट की स्थापना किया जाना है।

3. जनपद लखनऊ, गोरखपुर, आगरा एवं कानपुर नगर को रू0 150.00 लाख प्रति जनपद इस प्रकार कुल 600.00 लाख की धनराशि निम्नलिखित तालिका के अनुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Sl. No.	Head	FMR	Activity	Approved Amount (Amt.in Lacs)
1	Non-Recurring	5.3.17	Construction/Civil Work of CCU/ICU	15.00
		6.1.1.23.a	Equipping CCU/ICU	135.00
Total				150.00

5. कार्यक्रम के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत NPCDCS Operational Guideline के अनुसार ही सी0सी0यू0 क्रियाशील किया जाना है।

6. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, जिस कार्यक्रम / मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम / मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

7. स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

8. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

9. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

10. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

11. भारत सरकार के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

12. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/एन0सी0डी0/NPCDCS/03/2018-19/ तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लखनऊ, उ0प्र0।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एन0पी0सी0डी0सी0एस0 को इस आशय से प्रेषित कि कार्यकम के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय करने हेतु जनपदों को दिशा-निर्देश प्रेषित तथा अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।
5. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
7. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट- www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. सम्बन्धित जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर नगर एवं आगरा।

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / NPCDCS / 03 / 2018–19 / दिनांकः 05-11-18

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत National programme for prevention and control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases & Stroke (NPCDCS) कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में मदवार धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबन्ध में।

महोदय / महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases & Stroke (NPCDCS) हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 की आर0ओ0पी0 में एफ0एम0आर0 कोड सं0 5.3.17 (Construction/Civil Work of CCU/ICU), 6.1.1.23.a (Equipping CCU/ICU) के अन्तर्गत Cardiac Care Units की स्थापना हेतु रू0 150.00 लाख की धनराशि प्रति जनपद अनुमोदित की गई है।

2. प्रमुख सचिव, के अनुमोदन के क्रम में लखनऊ, गोरखपुर, आगरा एवं कानपुर नगर में सी0सी0यू0 / कैंसर केयर यूनिट की स्थापना किया जाना है।

3. जनपद लखनऊ, गोरखपुर, आगरा एवं कानपुर नगर को रू0 150.00 लाख प्रति जनपद इस प्रकार कुल 600.00 लाख की धनराशि निम्नलिखित तालिका के अनुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Sl. No.	Head	FMR	Activity	Approved Amount (Amt.in Lacs)
1	Non-Recurring	5.3.17	Construction/Civil Work of CCU/ICU	15.00
		6.1.1.23.a	Equipping CCU/ICU	135.00
Total				150.00

5. कार्यक्रम के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत NPCDCS Operational Guideline के अनुसार ही सी0सी0यू0 क्रियाशील किया जाना है।

6. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, जिस कार्यक्रम / मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम / मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

7. स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

8. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

9. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

10. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

11. भारत सरकार के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

12. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/एन0सी0डी0/NPCDCS/03/2018-19/8256-4-8 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लखनऊ, उ0प्र0।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एन0पी0सी0डी0सी0एस0 को इस आशय से प्रेषित कि कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय करने हेतु जनपदों को दिशा–निर्देश प्रेषित तथा अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।
5. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
7. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. सम्बन्धित जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0